


## न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 01/2025 बउनवानी मोहर सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर  
 पुत्र श्री शिवजीलाल गुर्जर निवासी टोटोलाई पोस्ट बूचोलाई तह० तलावडा  
**GCMS No-2025/1**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30.1.2025	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 18.11.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर <u>“रिकार्ड रुमे प्रस्तुत आवेदन पत्र 853 दिनांक 21.8.2014 व आवेदन पत्र क्रमांक 757 दिनांक 31.7.2017 पर जारी की दस्तावेजो की नकल के संबंध मे दो बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना”</u> प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार (भू०अभिलेख) सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक:प.13(1)(113)/सूकाअ/2024/74 दिनांक 27.01.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2024 में चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को प्रभारी अधिकारी भू०अ० के पत्रांक प.14/7/3/भू.अ./रिकार्ड/विविध/2024/546 दिनांक 23.01.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 में चाही गयी सूचना हेतु वांछित प्रविष्टिया/ख.न. अंकित नही है साथ ही चाही गयी सूचना के संबंध में राजस्व ग्रुप-6 विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना दिनांक 30.5.2023 में राजस्व रिकार्ड की नकलो हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रतिलिपि प्राप्त करने के प्रावधान दिये गये है। अतः राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने हेतु नियमानुसार जिला भू०अभिलेखागार मे नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त करने बाबत अपीलान्ट को लिखा जा चुका है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.11.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना के संबंध मे प्रभारी अधिकारी (भू०अभिलेख) सवाईमाधोपुर के पत्रांक 546 दिनांक 23.01.2025 से अपीलान्ट को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा चुका है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">               (शुभम चौधरी)              जिला कलेक्टर              सवाई माधोपुर         </div>